कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

भवन मानचित्र समिति {द्वितीय} सी.पी.सी. की 01/2000वीं बैठक दिनांक 03.1.2000 को जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सायं 6.00 बजे सम्पन्न हुई का कार्यवाही विवरण :

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1. श्री के.पी. सिंहल, सचिव, ज.वि.प्रा.
2. श्री पी.आर. शर्मा, निदेशक {वित्त} ज.वि.प्रा.
3. श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक {आयोजन} ज.वि.प्रा.
4. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक {सी.पी.} ज.वि.प्रा.

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1. श्री ओ.पी. सहारण, अति. आयुक्त {योजना} जविप्रा
2. श्री पी. अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक {एम.पी.} जविप्रा
3. श्री अनिलगुप्ता उपायुक्त जोन बी-2
4. श्री बी.एस. परमार, उपायुक्त जोन ए-2
5. श्री सुरेश गुप्ता, उपायुक्त जोन बी-1
6. श्री ओ.पी. खडगावत, उपायुक्त जोन बी-3
7. श्री आर.सी. शर्मा, वित्त अधिकारी जोन बी-2
8. श्री ओम प्रकाश शर्मा, तकनीकी सहायक {निदेशक आयोजना}
9. श्री हरी प्रसाद शर्मा, सहायक नगर नियोजक जोन बी-3
10. श्री रमेश चन्द, तहसीलदार जोन बी-3

बैठक में निम्न जोन के उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श पर निर्णय लिए गए :

एजेन्डा सं. 01/2000-1 :

उपायुक्त जोन बी-1 श्री सुरेश गुप्ता ने न्यूपिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की स्वीकृति योजना ग्रीन नगर में उसके भूखण्ड सं. 1 से 23 तक के भूखण्डधारियों द्वारा बतायी ~~सोय~~ 113 आपत्तियों से समिति को अवगत करवाया जिस पर निर्णय लिया गया कि इन भूखण्डधारियों के सामने सैक्टर रोड की चौड़ायी 60 फुट रखते हुए मौके पर उपलब्ध भूखण्डों की गहरायी रखते हुए नियमन की कार्यवाही की जाय ।

भूखण्ड सं. 53 जो ...

एजेन्डा सं0 01/2000-2 :

उपायुक्त जोन बी-2 श्री अनिल गुप्ता द्वारा अम्बेडकर गृह निर्माण सहकारी समिति की स्वीकृत योजना किदवई नगर के भूखण्ड सं0 56/57 एवं भूखण्ड सं0 58/57 के पुर्नगठन के संबंध में एजेन्डा प्रस्तुत किया। एजेन्डा के विशिष्ठ तथ्यों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा इन विशिष्ठ तथ्यों पर विचार विमर्श के पश्चात् इन तीन भूखण्ड 56,57,58 के स्थान पर दो भूखण्ड जिनके नम्बर 56 व 58 है रखने एवं भूखण्ड सं0 57 को विलोपित करने तदानुसा स्वीकृत मानचित्र को संशोधित स्वीकृत मानते हुए नियमन की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त जोन बी-2 ने किदवई नगर योजना के भूखण्ड सं0 21 से 25 के संदर्भ में तथ्यों से समिति को अवगत करवाया। समितिनेतथ्यों को देखते हुए तथा यह देखते हुए कि पूरा खसरा नं0 18 योजना का ही भाग है तथा समिति ने इन भूखण्डों का किसी को आवंटन नहीं किया है यह निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं0 21 से 25 का नियमन खसरा नं0 18 के बेचान के आधार पर कर दिया जाय।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसं
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक:एफ-11(14)जविप्रा/वननि/सीपी/01/2000/डी-05
दिनांक : 4-1-2000
प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा,जयपुर।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा,जयपुर।
3- निदेशक(आयोजना)/(विधि)/(वित्त)/(अभियांत्रिकी)जविप्रा,जयपुर।
4- अति0आयुक्त(भूमि एवं योजनाएं) जविप्रा,जयपुर।
5- वरिष्ठ नगर नियोजक(एम•पी•)जविप्रा,जयपुर।
6- उपायुक्त,जोन ए-1,ए-2,बी-1,बी-2,बी-3,सी-1,सी-2 एवं डी